



2026:AHC:23245

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1334, वर्ष 2026

युगेश कुमार यादव

.....याची

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : बृजेश कुमार यादव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : विवेक कुमार सिंह, ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 19.05.2001 को मुख्य आरक्षी सामान्य कर्तव्य के पद पर हुई थी और 19.05.2001 से 11.09.2020 तक याचिकाकर्ता विभिन्न स्थानों पर तैनात रहा और वर्तमान में वह वाराणसी में तैनात है। तथापि, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली, प्रतिवादी संख्या 4, द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 के माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण वाराणसी से एन.एल.सी. नेवेली कर दिया गया है।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. इस न्यायालय ने 02.02.2026 को याचिका को स्वीकार किया था और न्यायालय को निर्देश उपलब्ध कराए गए थे।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के अनुच्छेद-9 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का पुत्र, पवन कुमार, चांदमारी, लोढान (नागाबाबा) शिवपुर, वाराणसी स्थित सी.एम.जी. पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 में अध्ययनरत है और इसलिए याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक सरकारी आवास रखने की अनुमति दी जाए तथा तब तक उसका स्थानांतरण न किया जाए।
6. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह ने यद्यपि उक्त प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु उनके अनुसार याचिकाकर्ता को एक वचन पत्र देना होगा और याचिकाकर्ता को उस अनुरोध का पालन करना होगा जो वह इस न्यायालय के समक्ष कर रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

8. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर है और इसलिए याचिकाकर्ता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने वाले आदेशों का पालन करना होगा। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका पुत्र वाराणसी में कक्षा 12 में पढ़ रहा है और शैक्षणिक सत्र 31.03.2026 को समाप्त होने वाला है, याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्णीत की जाती है:

(क) याचिकाकर्ता 17.02.2026 तक वाराणसी में अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष एक वचन पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ख) सरकारी आवास खाली करने और 03.04.2026 तक स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर, याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक वाराणसी में बनाए रखा जाएगा।

(ग) 31.03.2026 तक याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(घ) याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया यह संरक्षण शर्तों और समय सीमा की पूर्ति के अधीन है और इनके उल्लंघन की स्थिति में, प्रदान किया गया संरक्षण इस पीठ के संदर्भ के बिना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(ङ) स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

3 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास)

बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"